न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 120 / 2023

वादपत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

बाबू सिंह पुत्र श्री बिल्ला सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– **वादी**

बनाम्

1. केवल सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. हमीर कौर पत्नी श्री हरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. जगजीत सिंह पुत्र श्री ईशर सिंह
4. जसवीर सिंह पुत्र श्री ईशर सिंह
5. दयाल सिंह पुत्र श्री ईशर सिंह
6. लखवीर उर्फ बलदर्शनसिंह पुत्र ईशरसिंह
7. सज्जन सिंह पुत्र श्री ईशर सिंह
8. सुखप्रीत कौर पत्नी स्व. जलौरसिंह
9. रसनदीप सिंह पुत्र स्व. जलौर सिंह
10. बन्ता सिंह पुत्र श्री रूलिया सिंह
11. ठाणासिंह पुत्र स्व. श्री जीतसिंह उर्फ सरजीतसिंह
12. सहजप्रीत सिंह पुत्र स्व. टहल सिंह

(क्रम 3 से 12) जाति समस्त जटसिख निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

13. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– **प्रतिवादीगण**

उपस्थित अधिवक्तागण :–
1. श्री कुलदीप मूण्ड –वकील वादी
2. एकपक्षीय

Signature Not Veri
Digitally signed by Rak
Meena
Date: 2024.05.30 16:15
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक :– 27.9...

वादी बाबूसिंह ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 13 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा ए[illegible] खाता तकसीम के तहत दिनांक 10.03.2023 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञा[illegible] प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 13 / 14 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.042 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 104 / 13 जमाबन्दी सम्वत्

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2073–76 में 0.619 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.042 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 104/13 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.619 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त की कृषि भूमि हैं। उक्त कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 के मध्य काफी समय पूर्व अच्छी में से अच्छी एवं मन्दी में से मन्दी के अनुसार बंटवारा हो गया था। मुताबिक बंटवारा वादी को चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 104/13 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.717 है. कृषि भूमि प्राप्त हुई थी। बंटवारा के रोज से वादी उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। कब्जाकाश्त बाबत् किसी भी सहकाश्तकारान एवं सहखातेदारान के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद–विवाद नही है। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :–

(क) **वादी बाबू सिंह पुत्र श्री बिल्ला सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–**

चक 1 डी.एल.पी. खाता सं. 104/13 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**
156/190	24	22,23/0.253 है.प्र.
156/191	39	2/0.082 है., 3/1/0.139 है.
		कुल 0.717 है. कृषि भूमि

वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 एवं बंटवारानुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर [illegible] रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को [illegible] तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 [illegible] वादी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादीगण की तलबी [illegible] अन्तिम सूचना जरिये दैनिक सामाचार पत्र करवाने का निवेदन किया, न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। इसके बावजूद प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.30 16:15:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

हाजिर नही आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 13/14 तथा इसी चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 104/13 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 की प्रति पेश की। प्रार्थना पत्र पेश तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से कब्जा काश्त रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ने अपने पत्रांक/भू.अ./2024/790 दिनांक 13.03.2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सह काश्तकार है। प्रतिवादीगण सं. 1ता 12 को न्यायालय में हाजिर नही आये है इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अन्य कोई विवाद नही है। इसलिए वकील वादी ने तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त कब्जा काश्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

बहस एकपक्षीय पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 13/14 तथा इसी चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 104/13 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 एवं तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही है एवं उक्त खाता अपवादित भी है। वादी ने अन्य सहकाश्तकारान के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी काश्त करता चला आ रहा है। वादी का कब्जाकाश्त बाबत् अन्य किसी भी सहकाश्तकारान के साथ कोई विवाद नही है। वर्तमान में भी कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद सामने नही आया है। प्रतिवादी सं. 1ता 12 बावजूद सूचना न्यायालय में हाजिर नही आये है। प्रकरण में अन्य कोई विरोध सामने नही आया है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग से कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उक्त विवेचना के आधार पर वादी का वादपत्र तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है। चक नं. 1 डी.एल.पी. खाता सं. 104/13 में कुल रकबा 5.695 है. व खाता सं. 13/14 में कुल रकबा 0.506 है. मौके पर कब्जा काश्त की भूमि :–

1. हमीर कौर पत्नी हरचरण सिंह जाति जटसिख साकिन बख्ताव[illegible] ढाणी 1 डी.एल.पी. प.नं. 155/190 मु.नं. 25 कि.नं. [illegible] मु.नं. 24 कि.नं. 21/0.253 है. प.नं. 156/191 मु.नं. 39 कि.नं. 1/0.25[illegible] 2/1/0.170 है. 9,10/0.253 है.प्र. कुल रकबा 1.19[illegible] है।
2. रसनदीप पुत्र जलौर सिंह जाति जटसिख साकिन बख्तावरसिंह वाला ढाणी 1 डी.एल.पी. प.नं. 155/190 मु.नं. 25 कि.नं. 25/2/0.239 कुल रकबा 0.239 है.।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kum
Meena
Date: 2024.05.30 16:15:53 IST
Reason: SelfAttested

3 बाबूसिंह पुत्र बिलासिंह सिंह जाति जटसिख साकिन बख्तावरसिंह वाली ढाणी 1 डी.एल.पी. प.नं. 156/190 मु.नं. 24 कि.नं. 22,23/0.253 है.प्र. प.नं. 156/191 मु नं. 39 कि.नं. 2/2/0.083 है. 3/1/0.129 है. कुल रकबा 0.718 है.।

4 ताणासिंह पुत्र सरजीत सिंह उर्फ जीतसिंह 1/2 हि. गुरमीतसिंह, गगनदीपसिंह, प्रगटसिंह पि0 हरपालसिंह, चरणजीतकौर पत्नी हरपाल सिंह 1/2 हि. ब.हि.ब. सिंह जाति जटसिख साकिन बख्तावरसिंह वाली ढाणी 1 डी.एल.पी. प.नं. 149/191 मु.नं. 32 कि.नं. 1,2/0.253 है.प्र. कुल रकबा 0.506 है.।

5 जसवीर सिंह पुत्र ईशरसिंह जाति जटसिख साकिन नाथवाना प.नं. 156/190 मु नं. 24 कि.नं. 15/0.253 है. प.नं. 157/190 मु.नं. 23 कि.नं. 9,10,11,12/0.253 है.प्र. कुल रकबा 1.265 है.।

6 लखवीरसिंह उर्फ बलदर्शन सिंह पुत्र ईशरसिंह जाति जटसिख सा. नाथवाना रहिन पी.एन.बी. शाखा संगरिया प.नं. 156/190 मु.नं. 24 कि.नं. 16,24,25/0.253 है.प्र. प.नं. 157/190 मु.नं. 23 कि.नं. 18,19,20,21,22,23/0.253 है.प्र. कुल रकबा 2.277 है.।

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थग्न आदेश आदि नही है तो तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X...को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.5.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.30 16:15:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 120/2023

बाबू सिंह पुत्र श्री बिल्ला सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. केवल सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. हमीर कौर पत्नी श्री हरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. जगजीत सिंह पुत्र श्री ईशर सिंह
4. जसवीर सिंह पुत्र श्री ईशर सिंह
5. दयाल सिंह पुत्र श्री ईशर सिंह
6. लखवीर उर्फ बलदर्शनसिंह पुत्र ईशरसिंह
7. सज्जन सिंह पुत्र श्री ईशर सिंह
8. सुखप्रीत कौर पत्नी स्व. जलौरसिंह
9. रसनदीप सिंह पुत्र स्व. जलौर सिंह
10. बन्ता सिंह पुत्र श्री रूलिया सिंह
11. ठाणासिंह पुत्र स्व. श्री जीतसिंह उर्फ सरजीतसिंह
12. सहजप्रीत सिंह पुत्र स्व. टहल सिंह
13. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

(क्रम 3 से 12: जाति समस्त जटसिख निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.))

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं0 धारा 88,53 आर.टी.ए.

दिनांक : 27.5.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादी मिन जानिब मुदई व एकपक्षीय मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है [illegible] वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :–

चक नं. 1 डी.एल.पी. खाता सं. 104/13 में कुल [illegible] 5.695 है. व खाता [illegible] 13/ [illegible] में कुल रकबा 0.506 है. मौके पर कब्जा काश्त की भूमि [illegible]

1. हमीर कौर पत्नी हरचरण सिंह जाति जटसिख साकिन बख्तावर [illegible] वाली ढाणी 1 डी.एल.पी. प.नं. 155/190 मु.नं. 25 कि.नं. 25/1/0.014 प.नं. 156/190 मु.नं. 24

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.30 16:15:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कि.नं. 21/0.253 है. प.नं. 156/191 मु.नं. 39 कि.नं. 1/0.253 है. 2/1/0.170 है. 9,10/0.253 है.प्र. कुल रकबा 1.196 है.।

2. रसनदीप पुत्र जलौर सिंह जाति जटसिख साकिन बख्तावरसिंह वाली ढाणी । डी.एल.पी. प.नं. 155/190 मु.नं. 25 कि.नं. 25/2/0.239 कुल रकबा 0.239 है।

3. बाबूसिंह पुत्र बिलासिंह सिंह जाति जटसिख साकिन बख्तावरसिंह वाली ढाणी । डी.एल.पी. प.नं. 156/190 मु.नं. 24 कि.नं. 22,23/0.253 है.प्र. प.नं. 156/191 मु.नं. 39 कि.नं. 2/2/0.083 है. 3/1/0.129 है. कुल रकबा 0.718 है.।

4. ठाणासिंह पुत्र सरजीत सिंह उर्फ जीतसिंह 1/2 हि. गुरमीतसिंह, गगनदीपसिंह, प्रगटसिंह पि0 हरपालसिंह, चरणजीतकौर पत्नी हरपाल सिंह 1/2 हि. ब.हि.ब. सिंह जाति जटसिख साकिन बख्तावरसिंह वाली ढाणी 1 डी.एल.पी. प.नं. 149/191 मु.नं. 32 कि.नं. 1,2/0.253 है.प्र. कुल रकबा 0.506 है.।

5. जसवीर सिंह पुत्र ईशरसिंह जाति जटसिख साकिन नाथवाना प.नं. 156/190 मु.नं. 24 कि.नं. 15/0.253 है. प.नं. 157/190 मु.नं. 23 कि.नं. 9,10,11,12/0.2531 है.प्र. कुल रकबा 1.265 है.।

6. लखवीरसिंह उर्फ बलदर्शन सिंह पुत्र ईशरसिंह जाति जटसिख सा. नाथवाना रहिन पी.एन.बी. शाखा संगरिया प.नं. 156/190 मु.नं. 24 कि.नं. 16,24,25/0.253 है.प्र. प.नं. 157/190 मु.नं. 23 कि.नं. 18,19,20,21,22,23/0.253 है.प्र. कुल रकबा 2.277 है.।

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X...को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.5.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.30 16:15:53 IST
Reason: SelfAttested